Date:- 10.11.2022

PRESS NOTE

प्रेस नोटः- (थाना नजीबाबाद)

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा दुकान में हुक्का बार चलाने वाला कन्फैक्शनरी संचालक गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में नशीले पदार्थों के क्रय/विक्रय/परिवहन आदि करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कडी कार्यवाही करने तथा इस धंधे में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी/बरामदगी व नशीले पदार्थों का प्रयोग करने वाले लोगों को नशे से छुटकारा दिलाने हेतु चलाये जा रहे **"नया सवेरा"** अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, नगर व क्षेत्राधिकारी, नजीबाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 09.11.2022 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना पर TIP AND TOP कन्फैक्शनरी पर हुक्का बार चलाकर नशे का व्यापार करते हुये कन्फैक्शनरी स्वामी निसार उर्फ गुडडू निवासी मौ0 दरोदग्रान कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 05 हुक्के, 05 पाईप, चिमटा, 129 कोयला टिकिया, तम्बाकू फ्लेवर व 100 ग्राम चरस व 27 अल्ट्रा थिन पेपर, 360 सिल्वर फोईल पेपर बरामद हुआ। बरामदगी के आधार थाना नजीबाबाद पर **मु0अ0सं0 555/22 धारा 4/6/21(1)/24(1) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादन अधि0 2003 व धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट** बनाम उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अभियुक्त अपनी टिप एण्ड टाप कन्फैक्शनरी में हुक्का बार संचालित कर नशे का व्यापार कर रहा था, जोकि स्कूल के बच्चों/युवाओ को नशे की लत लगा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

निसार उर्फ गुडडू निवासी मुस्लिम फण्ड आफिस के पास मौ0 दरोदग्रान थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरणः-

05 हुक्के, 05 पाईप, 129 कोयला टिकिया, 01 चिमटा, पांच पैकेट तम्बाकू फ्लेवर व 100 ग्राम चरस व 27 अल्ट्रा थिन पेपर, 360 सिल्वर फोईल पेपर

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-.

मु0अ0सं0 555/2022 धारा 4/6/21(1)/24(1) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादन अधि0 2003 व धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना नजीबाबाद बिजनौर

गिरफ्तार व बरामद करने वाली पुलिस टीमः-

निरीक्षक अपराध श्री अर्जुन सिंह, उ0नि0 मनीष कुमार, का0 1955 पंकज कुमार, का0 1790 राहुल कुमार

थाना किरतपुरः- आज दिनांक 10.11.2022 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 1.अजीम पुत्र अकबर निवासी मोहल्ला मजीद नगर थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ को मुकदमा अपराध संख्या 364/2022 धारा 323,498ए ,376, 504, 506 आईपीसी 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना हल्दौरः- आज दिनांक 10.11.2022 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 1.शाहिद उर्फ टारजन पुत्र युसूफ निवासी ग्राम खारी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को एक अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना हल्दौर पर मु0अ0स0-438/22 धारा-4/25 आयुध अधिनियम मे जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना हल्दौरः- आज दिनांक 10.11.2022 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 1. विपिन पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम बिलाई थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को एक अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को मु0अ0स0-439/22 धारा-4/25 आयुध अधिनियम मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

बिजनौर पुलिस

नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन

थाना कोतवाली शहरः- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।
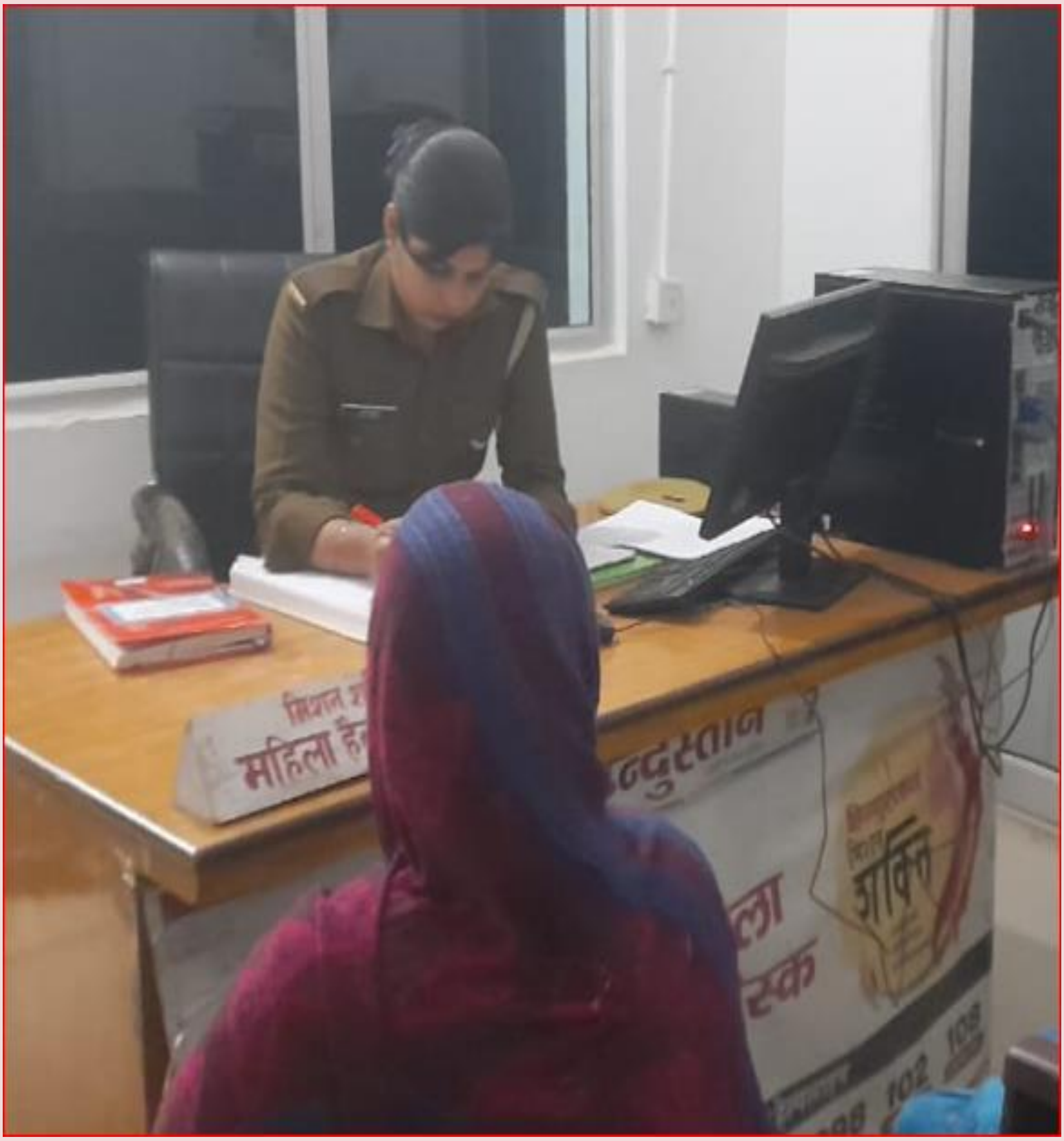
पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में #MissionShakti कार्यक्रम के अन्तर्गत #BijnorPolice के समस्त थानों पर स्थापित #महिला_हेल्प_डेस्क पर महिला फरियादियों की समस्या सुनते हुए महिला पुलिसकर्मी।